



डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

उत्तर प्रदेश सरकार

फाइल नं. 465/पत्रा.सं. 066/DSMNRU/2021-22

दिनांक: 13 जुलाई, 2021

कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के अन्तर्गत Tools/Equipments/Machines

क्रय किए जाने सम्बन्धी आहूत प्री-बिड बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 12.07.2021 को पूर्वाह्न 10:00 बजे कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के अन्तर्गत Tools/Equipments/Machines क्रय किये जाने के सम्बंध में प्री-बिड मीटिंग आहूत की गई। ई-टेंडर प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित सदस्य नामित हैं:-

1. श्री संजय सिंह, वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
2. प्रो० वी० के० सिंह, अधिष्ठाता, विशेष शिक्षा संकाय, विश्वविद्यालय।
3. श्री ए० के० सिंह, उप कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
4. श्री बृजेन्द्र सिंह, सहायक कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
5. श्री आलोक मिश्र, विधि अधिकारी, विश्वविद्यालय।

अवगत कराना है कि उक्त प्री-बिड मीटिंग में दो फर्म/एजेन्सी क्रमशः College Park Healthcare India Pvt. Ltd. एवं LABCO Instruments के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में दोनों फर्मों के प्रतिनिधि द्वारा दर्ज कराई गई तकनीकी समस्याओं/सुझावों पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया, जिस पर समिति द्वारा व्यक्त की गई सहमति निम्नवत् प्रस्तुत है:-

1. College Park Healthcare India Pvt. Ltd. के प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप से Tools/Equipments/Machines क्रय किये जाने के सम्बंध में अपलोड ई-टेंडर डॉक्यूमेंट के बिन्दु संख्या-4 Instructions of Bidders के उपबिन्दु संख्या-10 पर आपत्ति दर्ज करते हुये Delivery of the goods/item(s)/equipment(s)/Instrument(s) की निर्धारित अवधि 30 दिवस को बढ़ाते हुये 60 से 90 दिवस किए जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कतिपय Items की आपूर्ति में होने वाली व्यवहारिक समस्या के दृष्टिगत निर्धारित अवधि 30 दिवस से बढ़ाकर 60 दिवस किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।
2. ई-टेंडर की वेबसाइट एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की किए गये टेंडर डॉक्यूमेंट के अन्तर्गत Financial Bid के अंतिम पृष्ठ (क्रम संख्या-16 से 29 तक) की प्रति दो बार अपलोड हो गई हैं, जिसको एक ही माना जाय।
3. ई-टेंडर डॉक्यूमेंट में वर्णित उपकरण के दिये गये Specification के अनुरूप उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप ही सम्बन्धित फर्म/प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा आपूर्ति की जाय।

(संजय सिंह)
वित्त अधिकारी

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-सिस्टम एनॉलिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(संजय सिंह)
वित्त अधिकारी